

प्रेस-विज्ञप्तिथाना पवई4 किलो 200 ग्राम नजायज गांजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष पवई के निर्देशन में उ०नि० वीरेन्द्र यादव मय हमराहियान के अपराध एवं अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान मैंगना बाजार में मामूर थे कि मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली 02 व्यक्ति खेमीपुर चौराहे पर नहर पुलिया के पास अपने अपने हाथों में एक एक झोले में लगभग 02-02 किग्रा० गांजा लेकर कहीं जाने की फिराक में हैं। मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास करके मैंगना बाजार से प्रस्थान होकर खेमीपुर चौराहे के नजदीक पहुंचे तो मुखबीर खास नहर पुलिया से पहले ही उतरकर दूर से ही नहर पुलिया पर खड़े दोनो व्यक्तियों की तरफ इशारा करके हट गया पुलिस टीम जैसे ही खेमीपुर नहर पुलिया के पास पहुंची तो पुलिस को अपने नजदीक आता देख नहर पुलिया पर खड़े दोनो व्यक्ति शाहगंज की तरफ भागने का असफल प्रयास किये लेकिन पुलिस टीम द्वारा दौड़ाकर दोनो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पकड़े गये पहले व्यक्ति ने अपना नाम मनीष उर्फ सनोज उर्फ बूढ़े राजभर पुत्र रामसिजोर राजभर निवासी हासिमपुर थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर बताया तथा दूसरे ने अपना नाम सूरज राजभर पुत्र रामअजोर निवासी गद्दोपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ बताया। पकड़े गये व्यक्तियों के पास से कुल 4 किलो 200 ग्राम नजायज गांजा बरामद हुआ। अभियुक्तगण का यह कार्य धारा 8/20 NDPS ACT का दण्डनीय अपराध है का बोध कराते हुए दिनांक 12.07.2021 को समय करीब 12.30 बजे अभियुक्तगण को हिरासत पुलिस लिया गया। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 88/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना पवई जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु०अ०सं० 88/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. मनीष उर्फ सनोज उर्फ बूढ़े राजभर पुत्र रामसिजोर राजभर निवासी हासिमपुर थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर
2. सूरज राजभर पुत्र रामअजोर निवासी गद्दोपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

4 किलो 200 ग्राम नजायज गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० वीरेन्द्र यादव
2. हे०का० अशोक कुमार
3. का० विवेक साहू
4. का० प्रमोद कुमार
5. म०का० रमासिंह चौहान

## थाना- अहरौला

### हत्या, जहर खुरानी, बलवा, चोरी, लूट, व अवैध गाँजा विक्री करने वाला पेशेवर अपराधी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा चलाये जा रहे चोर, लुटेरे, व अवैध शराब, गाँजा के विक्री करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के कुशल निर्देशन में व थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल के कुशल निर्देशन में मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 13.07.2021 को उ०नि० प्रभात पाठक मय हमराही पुलिस बल के द्वारा बसही से मय नाजायज गाँजा 03 किलो 500 ग्राम के अभियुक्त हनुमान निषाद पुत्र निहोर निषाद निवासी ग्राम शम्भूपुर बलुअहवा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को समय 05.45 बजे प्रातः स्थान बसही से गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 105/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत की गई है जिसकी विवेचना प्रभारी चौकी माहुल उ०नि० विजय प्रकाश मौर्य द्वारा सम्पादित की जा रही है। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध हत्या, जहर खुरानी, बलवा, चोरी, लूट, अवैध शस्त्र रखने सहित भिन्न भिन्न जनपदों के भिन्न भिन्न थानों में दो दर्जन से अधिक मुकदमें पंजीकृत हैं जिसमें अभियुक्त हनुमान निषाद पुत्र निहोर निषाद उपरोक्त गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

हनुमान निषाद पुत्र निहोर निषाद साकिन शम्भूपुर बलुअहवा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

### बरामदगी-

03 किलो 500 ग्राम गाँजा नाजायज

### पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 105/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

### आपराधिक इतिहास-

- 1) मु०अ०सं० 145/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़
- 2) मु०अ०सं० 499/07 धारा 8/22 NDPS एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
- 3) मु०अ०सं० 1698/07 धारा उ०प्र० गैंगे० एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़
- 4) मु०अ०सं० 1434/07 धारा 379/320 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
- 5) मु०अ०सं० 36/07 धारा 21/22 NDPS Act थाना जीआरपी शाहगंज जौनपुर
- 6) मु०अ०सं० 33/07 धारा 401 भा०द०वि० थाना जीआरपी शाहगंज जौनपुर
- 7) मु०अ०सं० 34/07 धारा 25/27 A Act थाना जीआरपी शाहगंज जौनपुर
- 8) मु०अ०सं० 121/09 धारा 110 सीआरपीसी थाना थाना अहरौला आजमगढ़
- 9) मु०अ०सं० 33/09 धारा 380 भा०द०वि० थाना अहरौला आजमगढ़
- 10) मु०अ०सं० 578/09 धारा 4/25 A ACT थाना अहरौला आजमगढ़
- 11) मु०अ०सं० 130/10 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट अहरौला आजमगढ़
- 12) मु०अ०सं० 768/10 धारा 302/201 भा०द०वि० थाना अहरौला आजमगढ़
- 13) मु०अ०सं० 867/10 धारा 8/21 एनडीपीसी एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़
- 14) मु०अ०सं० 6/12 धारा 394/411/120 B भा०द०वि० थाना अहरौला आजमगढ़
- 15) मु०अ०सं० 112/13 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़
- 16) निल/12 धारा 392 भा०द०वि० थाना अतरौलिया आजमगढ़
- 17) मु०अ०सं० 94/12 धारा 394/411/120 B भा०द०वि० थाना अतरौलिया आजमगढ़
- 18) मु०अ०सं० 131/10 धारा 3/25 ए एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़
- 19) मु०अ०सं० 191/14 धारा 328/379 भा०द०वि० थाना आलापुर अम्बेडकर नगर
- 20) मु०अ०सं० 185/15 धारा 394 भा०द०वि० थाना राजेसुल्तानपुर अम्बेडकर नगर

21) मु0अ0सं0 238/15 धारा 379/412/413/414/467/468/434/420 भा0द0वि0 थाना राजेसुल्तानपुर अम्बेडकर नगर

22) मु0अ0सं0 2 39/15 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना राजेसुल्तानपुर अम्बेडकर नगर

23) मु0अ0सं0 326/17 धारा 380,411 भा0द0वि0 थाना जीआरपी आजमगढ़

24) मु0अ0सं0 378/17 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी आजमगढ़

25) मु0अ0सं0 292/17 धारा 380/411 IPC जीआरपी आजमगढ़

26) मु0अ0सं0 105/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रभात पाठक, उ0नि0 राजीव कुमार सिंह, आरक्षी संजीव कुमार यादव, रि0आरक्षी चन्दन कुमार

### थाना मुबारकपुर

### वीडियो वायरल की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार

दिनांक 12.07.2021 को आवेदिका द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय से प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त द्वारा विडियो वायरल की धमकी देकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया कि दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 137/2021 धारा 376,506 IPC व 67A IT Act. विरूद्ध इम्तेयाज अहमद पुत्र स्व0 नुरुलैन सा0 अलीनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी जिसके क्रम में –

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर एस0पी0 सिंह द्वारा स्वयं की नेतृत्व में मामले को गम्भीरता से लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार दविश दी जा रही थी तभी सूचना प्राप्त हु ई कि अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त कहीं भागने के फिराक में इस्लामपुरा कस्बा मुबारकपुर के आगे खाली मैदान के पास सवारी गाड़ी के इन्तेजार में खड़ा है कि सूचना पर मुबारकपुर पुलिस टीम तत्परता करते हुए इस्लामपुरा के आगे खाली मैदान के पास पर पहुंची तो देखी कि एक व्यक्ति रोड के किनारे खड़ा है इत्मिनान होने पर पुलिस टीम एक बारगी दबिश देकर उस खड़े व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पूछने पर अपना नाम इम्तेयाज अहमद पुत्र स्व0 नुरुलैन सा0 मुहल्ला हैदराबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ बताया, अभियुक्त को अपराध का बोध कराते हुए दिनांक- 13.07.2021 समय करीब 06.55 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण** – अभियुक्त से पूछताछ पर बता रहा है कि मैं शादी शुदा हूँ और मेरे पास तीन बच्चे हैं, मैंने एक दिन अपने छत पर से मेरे पड़ोस में रहने वाली लड़की का अपने मोबाइल में अश्लील फोटो खिच लिया, उक्त फोटो को दिखाकर उस लड़की को अवैध सम्बन्ध बनाने हेतु धमका कर राजी कर लिया तथा उसके साथ गलत सम्बन्ध बनाते हुए विडियो भी मैंने बना लिया, उक्त विडियो अपने दोस्तों के पास भेज दिया, फिर मुझे पता चला कि मुझसे गलती हो गयी है।

### पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 137/2021 धारा 376,506 IPC व 67A IT Act. थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

अभियुक्त इम्तेयाज अहमद पुत्र स्व0 नुरुलैन सा0 अलीनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण –

- 1.SHO एस0पी0 सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 रत्नेश कुमार दुबे चौकी प्रभारी कस्बा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

3. हे0का0 सन्तोष कुमार, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4. हे0का0 रविन्द्र कुमार सिंह, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
5. हे0का0 सुधीर कुमार, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
6. का0 दीपक यादव, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
7. का0 अजीत कुमार, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

**थाना- महाराजगंज**  
**पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

अभियुक्त रामप्रकाश पुत्र श्रीपती द्वारा प्रार्थिनी को 06 महीने पहले गन्ने के खेत में ले जाकर गलत अवैध सम्बन्ध बनाना जिससे प्रार्थिनी के पेट में 6 महीने का बच्चा होने व जान मारने की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 207/21 धारा 376, 506 वाIPC 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

महिला सम्बन्धित संगीन अपराधो पर रोकथाम लगाये जाने हेतू गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाये गये अभियान के क्रम मे **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13 .07.21 को निरीक्षक विमलेश मौर्या मय हमराह का 0 रामसरन, का0 नीतिश मल्ल, रि0का0 रुपक कुमार, म0का0 प्रतिमा पाण्डेय के खाना शुदा रो 0 आम से बाद देखभाल क्षेत्र, पेडिंग विवेचना चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन तथा रात्रि गश्त करते समय मुखबिर ने सूचना दी कि मु0अ0सं0 207/21 धारा 376, 506 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त चिकनहवा ढाले पर मौजूद है इस सूचना पर विश्वास करके निरीक्षक मय हमराही व मुखबीर खास के कटान बाजार से खाना होकर चिकनहवा ढाले पर पहुँचे तो देखा कि एक व्यक्ति चिकनहवा ढाले पर रोड के किनारे खड़ा है, मुखबीर खास कुछ दुर पहले ही उक्त व्यक्ति की ओर इशारा कर के हट बढ़ गया कि पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। व उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रामप्रकाश निषाद पुत्र श्रीपति निषाद साकिन महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ बताया बाद बताने अपराध अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 08.45 बजे सुबह गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 207/21 धारा 376, 506 वाIPC 3/4 पाक्सो एक्ट

**आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0-207/21 धारा 376, 506 IPC 3/4 पाक्सो एक्ट थाना महाराजगंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-128/19 धारा 147,323,336,504 भादवि थाना महाराजगंज आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

रामप्रकाश पुत्र श्रीपती सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

निरीक्षक विमलेश मौर्या मय हमराह का0 रामसरन, का0 नीतिश मल्ल, रि0का0 रुपक कुमार, म0का0 प्रतिमा पाण्डेय

**थाना बिलरियागंज**

**17 राशि गाय व 02 राशि बछड़ा जिन्दा कुल 19 राशि गोवंशी पशु व एक अदद ट्रक के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 हृदयानन्द पाठक थाना बिलरियागंज द्वारा आज दिनांक 13.07.2021 को मय फोर्स के तहत तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी रोकथाम जूम जरायम के गोरिया बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक ट्रक पर लदे गोवंशी पशु महाराजगंज की तरफ से होते हुए बिलरियागंज की तरफ तेज रफ्तार से आ रह हैं, जो गोवंशी पशुओ के बध हेतु बिहार लेकर जायेंगे

। इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह के खजियावर विद्यालय के पास बैरिकेटिंग कर चेकिंग चालू किया गया कि कुछ देर बाद एक तेज रफतार ट्रक महाराजगंज की तरफ से आती दिखाई दिया कि पुलिस टीम टार्च की रोशनी से रोकने का इशारा किये कि वह आगे भागना चाहा कि पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से खजियावर स्कूल से करीब 100 मीटर आगे बिलरियागंज मुख्य रोड ट्रक को रोक लिया गया तो ट्रक के केबिन में बैठे एक व्यक्ति को मौके पर ट्रक के साथ पकड़ लिया गया तथा ट्रक से कुदकर कुछ लोग भागने लगे । जिनको हमराह कर्म0गण द्वारा दौड़ाकर पीछा किया गया लेकिन भागने में सफल रहे । पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम गोविन्द कुमार पुत्र श्याम रेख निवासी ग्राम खजियावर, थाना बिलरियागंज आजमगढ़ बताया बताया तथा भागे हुए व्यक्तियों का नाम क्रमशः (1) कल्लू व्यपारी निवासी चाँदपट्टी थाना रौनापार आजमगढ़ (2) अरविन्द कुमार पुत्र श्याम रेख निवासी खजियावर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ व कुछ नाम पता अज्ञात बताये तथा बरामद वाहन के ढाले को खोलकर देखा गया तो ट्रक के अन्दर कुल 19 राशि गोवंशी पशु बेरहमी से लदे बधे हुए हैं, गोवंश हाफ रहे हैं सभी एक दुसरे पर गिरे पड़े हैं। अभियुक्त गोविन्द कुमार उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 09.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया ।  
**अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायाल किया जा रहा है।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

(1) गोविन्द कुमार पुत्र श्याम रेख निवासी ग्राम खजियावर, थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

फरार अभियुक्त का नाम व पता-

(1) कल्लू व्यपारी निवासी चाँदपट्टी थाना रौनापार आजमगढ़ ।

(2) अरविन्द कुमार पुत्र श्याम रेख निवासी खजियावर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

बरामदगी-

1- बरामदगी 17 राशि गाय व 02 राशि बछड़ा जिन्दा कुल 19 राशि गोवंशी पशु ।

2- 01 अदद ट्रक UP54 T8366

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1-उ0नि0 हृदयानन्द पाठक थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

2-हे0का0 उपेन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

3-हे0का0 रामचन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

4- का0 आनन्द कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

5- का0 संदीप शाह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

थाना सिधारी

एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 01.06.2021 को वादी मुकदमा अपहृता के पिता द्वारा तहरीर दिया गया कि मेरी पुत्री उम्र 12 वर्ष खाना पीना खा कर रात्रि में सभी लोग सो गये सुबह करीब 4 बजे हम लोग जब जागे तो देखा कि हमारी बच्ची नहीं है। काफी खोज बीन किया गया मगर अभी तक मिली । प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0स0 115/2021 धारा 363 भादवि पंजीकृत कर विवेचना अमल मे लाई गयी ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान व अवैध शराब माफियों की गिरफ्तारी व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व टाप 10 अपराधियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय के निर्देशन में उ0नि0 मिथलेश कुमार मय हमराहीगण के साथ थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र मु0अ0सं0 115/21 धारा 363 भादवि मे मामूर थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि मु0अ0स0 115/2021 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अभी रोडवेज बस अड्डे से बस पकड़ कर कहीं बाहर जाने के फिराक मे है । मुखबीर खास की बात पर विश्वास कर मय हमराही मय मुखबीर के रोडवेज बस अड्डे आजमगढ़ पर पहुँचे कि मुखबीर ने खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करके वापस हट बढ़ गया । खड़े व्यक्ति को बिना भागे मौके दिये हिरासत पुलिस मे लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पुछा गया तो अपना नाम मानिकचन्द्र मद्धेशिया पुत्र स्व0 पारस मद्धेशिया सा0 बेलचौरा थाना सरायलखन्सी जिला मऊ बताया । अभियुक्त को अपराध का बोध कराकर

अभियुक्त को समय 11.50 बजे रोडवेज बस अड्डे आजमगढ़ से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या**

मु0अ0स0 151/21 धारा 363 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त**

अभि0 मानिकचन्द्र मद्धेशिया पुत्र स्व0 पारस मद्धेशिया सा0 बेलचौरा थाना सरायलखन्सी जिला मऊ

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण**

1. उ0नि0 मिथलेश कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
2. क0 विनोद प्रताप यादव थाना सिधारी आजमगढ़

**थाना- जीयनपुर**

**पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार**

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण , क्षेत्राधिकारी सगड़ी के आदेश /चलाये जा रहे अभियान वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आज दिनांक 13.07.2021 को उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह का0 श्रेष्ठ यादव के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र मे मुबारकपुर तिराहा पर मौजूद थे कि जरिये मुखवीर खास सूचना मिली कि मु 0अ0सं0 144/2021 धारा 363/366/376 भादवि ¾ पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अवनीश मौर्य पुत्र श्रीधर मौर्य अंजान शहीद बाजार से कही भागने के फिराक मे है मुखवीर की इस सूचना पर तत्काल मय मुखवीर हमराही पुलिस बल के साथ रवाना होकर अंजानशहीद बाजार से थोडा पहले वाहन को खडा किया गया मुखवीर ने बताया कि जो व्यक्ति अंजान शहीद मोड पर खडा है वही अवनीश मौर्य है व इतना कहकर मुखवीर पीछे मुडकर चला गया तत्परता करते हुये अचानक से मोड पर खडे व्यक्ति के पास पहुच गये तो वह व्यक्ति हडबडा कर भागना चाहा कि पुलिस टीम द्वारा मौके पर ही पकड लिया गया । पकडे गये व्यक्ति से नाम व भागने का कारण पुछा गया तो बताया कि साहब मेरा नाम अवनीश मौर्य पुत्र श्रीधर मौर्य सा 0 बागपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ तथा मैं आप लोगो को अचानक से देख कर घबरा गया था क्योकि पुलिस मुझे लडकी को भगाने के मुकदमे मे खोज रही थी पर अचानक आप लोग कहा से आ गये और आप लोग पकड लिये । पकडे गये व्यक्ति को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 07.55 बजे वाजाफता वकायदा हिरासत मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करा चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

अवनीश मौर्य पुत्र श्रीधर मौर्य सा0 बागपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़

**पंजीकृत अभियोग -**

मु0 अ0 सं0 144/2021 धारा 363/366/376 भादवि0 थाना जीयनपुर आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय- थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. का0 श्रेष्ठ यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़

\*नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 43 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।\*